लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4540

जिसका उत्तर बुधवार, 20 अगस्त, 2025 को दिया जाएगा

ब्रांडेज पैकेज्ड मसालों में मिलावट

4540. श्रीमती रुचि वीरा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में काम कर रही कंपनियों द्वारा निर्मित ब्रांडेड या पैक्ड मसालों में मिलावट के संबंध में कोई शिकायत या रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में ऐसे मामलों की संख्या और खाद्य सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के नाम का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कोई प्रयोगशाला परीक्षण या नमूना विश्लेषण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम थे;

(ङ) ऐसी मिलावट के लिए दोषी पाए गए निर्माताओं या कंपनियों के विरुद्ध आर्थिक दंड लगाने, लाइसेंस को रद्द करने या आपराधिक कार्यवाही चलाने सहित की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या मसाला निर्माताओं द्वारा खाद्य सुरक्षा मानकों का निरंतर पालन सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी प्रणाली मौजूद है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क और ख): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सूचित किया है कि एफएसएसएआई और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों को मिलावट सहित विभिन्न समस्याओं से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में, पिछले 5 वित्तीय वर्षों में मसालों से संबंधित प्राप्त और निपटान की गई शिकायतों का समेकित आँकड़ा नीचे दिया गया है:

वर्ष	प्राप्त शिकायतें	निपटान की गई शिकायतें
2020-21	850	829
2021-22	3881	3729
2022-23	4330	4074
2023-24	4735	3993
2024-25	7705	5952

(ग से च): एफएसएसएआई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों और अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से मसालों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, प्रवर्तन अभियान, मॉनीटरिंग, निरीक्षण और नमूनाकरण करता है।

खाद्य नमूनों की जाँच के लिए, एफएसएसएआई ने 244 एनएबीएल-मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को अधिसूचित किया है। इसके अतिरिक्त, अपीलीय नमूनों के विश्लेषण के लिए, मुख्य रूप से केंद्र सरकार के विभागों और संस्थानों के स्वामित्व वाली 22 निर्देश खाद्य प्रयोगशालाओं को भी अधिसूचित किया गया है।

ऐसे मामलों में, जहां प्रयोगशाला परीक्षण के दौरान खाद्य नमूने गैर-अनुरूप पाए जाते हैं, एफएसएस अधिनियम 2006, उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार दोषी खाद्य व्यापार संचालकों (एफबीओ) के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है।

पिछले तीन वर्षों में विश्लेषण किए गए खाद्य नमूनों, गैर-अनुरूप पाए गए नमूनों तथा जुर्माने आदि के प्रवर्तन गतिविधियों का विवरण **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

******

अनुलग्नक -1

"ब्रांडेज पैकेज्ड मसालों में मिलावट" के संबंध में दिनांक 20.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4540 के उत्तर के भाग (ग) से (च) में उल्लिखित अनुलग्नक-1

पिछले 3 वर्षों में की गई प्रवर्तन गतिविधियों (मसालों सहित) का विवरण									
वर्ष	विश्लेषित नमूनों की संख्या	गैर-अनुरूप पाए गए नमूनों की संख्या	गैर-अनुरूप नमूने			दीवानी मामले		आपराधिक मामले	
			असुरक्षित	सब स्टैण्डर्ड	लेबलिंग दोष/ भ्रामक/ विविध	जुर्माने के साथ निर्णय	वसूला गया जुर्माना (करोड़ रु.)	दोषसिद्धि की संख्या	वसूला गया जुर्माना (करोड़ रुपये)
2024-25	170535	34388	7945	22516	3931	30142	35.74	1265	3.03
2023-24	170513	33808	6782	22603	4423	29586	74.12	1161	2.67
2022-23	177511	44626	6579	21917	16130	28464	33.23	1188	2.75

नोट: विश्लेषण किए गए नमूने/शुरू किए गए मामले/लगाए गए जुर्माने में पिछले वित्तीय वर्ष का डेटा शामिल है।

* 'गैर-अनुरूप नमूनों (असुरक्षित + सब स्टैण्डर्ड + लेबलिंग दोष + भ्रामक दावे) की संख्या 'गैर-अनुरूप नमूनों की संख्या' से अधिक हो सकती है, क्योंकि एकल नमूना सभी प्रकार की गैर-अनुरूपता के लिए योग्य है।

*****